[8/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 943]

भारत सरकार
Government Of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising power of Civil Courts under Article 338A of the Constitution of India)

छठा तल,लोकनायक भवन,खान मार्केट
नई दिल्ली-110003

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-167/MP/3/2021-ESDW | दिनांक: 15.12.2021

सेवा में,

1.मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय
भोपाल - (मध्य प्रदेश)

2.कलेक्टर
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला-मंडला
मध्य प्रदेश
मंडला - (मध्य प्रदेश)

विषय: आदिवासी हितग्राहियों की फर्जी सूची बनाकर राशि गबन/भ्रष्टाचार/घोटाले के दोषियों पर एफ.आई.आर दर्ज कराने के सम्बन्ध में.

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री पुनीत टंडन से दिनांक 28.11.2021 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर. के. दुबे)
उप-निदेशक

दूरभाष सं.: ....
ई-मेल: ....

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
श्री पुनीत टंडन,
9-A/406, साकेत नगर,
भोपाल -462024,
मध्य प्रदेश

उप संचालक
संचालनालय,किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र.भोपाल

अवर सचिव अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट-2

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास परियोजना) जिला मंडला

क्रमांक/परि.अधि./2022/ 234

मंडला दिनांक07/01/2022

आदेश

राष्ट्रीय अधिसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/NCST/DEV-167/MP/3/2021-FSDW नई दिल्ली दिनांक 15.12.2021 के तहत आदिवासी एवं बैगा हितग्राहियों की फर्जी सूची बनाकर राशि गवन /भ्रष्टाचार/घोटाले के दोषियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करने के संबंध में आयोग को 15 दिवस में जबाव देने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

शिकायत की जांच हेतु निम्न समिति गठित की जाती है :-

1 श्री सुनील दुबे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला – अध्यक्ष
2 श्रीमती मधु अली प्रभारी उप संचालक कृषि विभाग मंडला – सदस्य /सचिव
3 श्री राजेन्द्र नाथ प्रजापति नायब तहसीलदार बम्हनी, मंडला – सदस्य

समिति 5 दिवस में जांच कर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सदस्य/सचिव समिति के समक्ष संपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करेंगे, समिति गांव का भ्रमण, हितग्राहियों से चर्चा तथा ब्यान भी लेंगे साथ ही हितग्राहियों से चर्चा के समय फोटो ग्राफ भी ली जावे।

उक्त समिति प्रतिवेदन/ब्यान/फोटो ग्राफ सहित प्रतिवेदन समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

संलग्न – शिकायत पत्र एव आयोग के पत्र की छायाप्रति।

कलेक्टर,
मण्डला

पृ.क्रमांक/परि.अधि./2022/ 235

मंडला दिनांक07/01/2022

प्रतिलिपि :-

1 मुख्य सचिव म.प्र.शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2 श्री आर.के.दुबे उप निर्देशक राष्ट्रीय जनजाति आयोग नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
3 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर।
4 संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5 श्री सुनील दुबे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला/
6 श्रीमती मधु अली प्रभारी उप संचालक कृषि विभाग मंडला
7 श्री राजेन्द्र नाथ प्रजापति नायब तहसीलदार बम्हनी, मंडला।

क्रमांक 5, 6 एवं 7 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर,
मण्डला

C/S

अनुभाग अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल

उप. संचालक
संचालनालय,किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र.भोपाल